न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 09/2019 अपील

1. कल्याण सिंह पिता भुर सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी धनोरा।
2. खुमान सिंह पिता भुर सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी धनोरा।
3. गोपाल सिंह पिता भुर सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी धनोरा।
4. भोपराज पिता बंशीलाल टांक, आयु वयस्क, निवासी धनोरा।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– रेस्पोण्डेंट

अपील नामान्तरकरण संख्या 1308 ग्राम धनोरा दिनांक 31.12.12
न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा

निर्णय दिनांक 13.05.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम धनोरा का उक्त इन्तकाल अपीलाण्ट के मध्य आपसी सहमति के बंटवारे से दर्ज किया गया था परन्तु बंटवारा सही नहीं हुआ था तथा खाते के विभिन्न नम्बरों को शामिल बताया गया है जबकि इनका आपस में कोई सम्पर्क नहीं है। सभी खातेदार अलग अलग नम्बर पर काबिज हैं इसलिए उक्त इन्तकाल को निरस्त कर मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने उपस्थित हो अपील के कथनों को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किये जाने में सहमति प्रकट की है।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया। इन्तकाल नम्बर 1308 दिनांक 31.12.2012 को तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा आपसी सहमति के बंटवारे से निर्णित किया गया था। मौके पर बंटवारे के नम्बर एक चक नहीं होने से इन्तकाल निरस्त करा मौके अनुसार बंटवारा व तरमीम कराना चाहते हैं जो विधिक रूप से स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 1308 दिनांक 31.12.2012 ग्राम धनोरा ग्राम पंचायत फलवा को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार नवीन नामान्तरकरण निर्णित करते अपीलाण्ट के मौके पर कब्जे अनुसार अंकन किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 13.05.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.12 17:12:30 IST
Reason: SelfAttested